



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2011/श्रावण 20, 1933

No. 454]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2011/SRAVANA 20, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2011

New Delhi, the 11th August, 2011

सा.का.नि. 617(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में अभियोजन फाइल करने और उनके संचालन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है।

G.S.R. 617(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise the following officers in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956.

1. श्री अनिल सिंघल, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण)
2. श्री एम. वेंकटेश्वरलु, सहायक निदेशक (अन्वेषण)
3. श्री एस. के. नन्दा, सहायक निदेशक (अन्वेषण)
4. श्री डी. के. शर्मा, सहायक निदेशक (कॉर्पोरेट विधि)

1. Shri Anil Singhal, Senior Assistant Director (Investigation)
2. Shri M. Venkateswarlu, Assistant Director (Investigation)
3. Shri S. K. Nanda, Assistant Director (Investigation)
4. Shri D. K. Sharma, Assistant Director (Corporate Law)

[फा. सं. 5/37/2011-सीएल. V (पॉलिसी 1)]

[F.No. 5/37/2011-CL.V (Policy I)]

जे. एन. टिक्कु, संयुक्त निदेशक

J. N. TIKKU, Jt. Director